राज्य् सभा

तारांकित प्रश्ना संख्यार*114

04 मई, 2016 को उत्त*र के लिए

स्टेनलेस स्टील के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना

114* श्री मेघराज जैन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए स्टेनलेस स्टील के आयात पर सत्तावन प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क लगाया है;

(ख) क्या यह शुल्क पांच वर्षों तक लगाए जाने का प्रावधान है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इसी प्रावधान के तहत विभिन्न देशों से आयात किये जाने वाले इस्पात पर अलग-अलग शुल्क लगाए जाने का फैसला लिया गया है जिसमें सबसे अधिक सत्तावन प्रतिशत चीन के लिए और सबसे कम पांच दशमलव उनतालीस प्रतिशत थाइलैंड के लिए प्रस्तावित है; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात पर अलग-अलग दर से शुल्क लगाए जाने के क्या कारण है और देश-वार कितना-कितना शुल्क लगाया गया है?

उत्तघर

इस्पालतऔर खान मंत्री **(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

"स्टेनलेस स्टील के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना" के बारे में श्री मेघराज जैन, संसद सदस्य, द्‌वारा लोक सभा में दिनांक 04 मई 2016 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *114 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) : सरकार ने एक सुविधादाता के रूप में दिनांक 11 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना संख्या 61/2015-कस्टम्स (एडीडी) के द्‌वारा चीन गणराज्य, कोरिया गणराज्य, यूरोपियन संघ, दक्षिणी अफ्रीका, ताईवान, थाईलैंड और अमेरीका में उत्पादित अथवा वहां निर्यातित स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड चपटे उत्पादों के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया था।

(ख) : कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 की धारा 9ए(5) में प्रावधान है कि इस धारा के अंतर्गत लगाया गया एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष समाप्त हो जाने पर प्रभाव से हट जाएगा, जब तक कि पूर्व तिथि से रद्‌द न किया जाए।

(ग) और (घ) : उपरोक्त नामित देशों से उपरोक्त सामानों के आयात पर शुल्क (चीन पीए पर अधिकतम 57.39% और थाइलैंड से कुछ निर्यातों पर 4.58%) नामित प्राधिकारी द्‌वारा कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 की धारा 9ए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन की गई जांच के अनुसार बिक्री मार्जिन और नुकसान के निर्धारण के आधार पर अलग-अलग लगाए गए हैं। उपर्युक्त् आदेश के द्‌वारा लगाया गया देशवार शुल्क तालिका "क" में दिया गया है।

<u>तालिका - क</u>

क्र. सं.	टैरिफ शीर्ष	सामानों का विवरण	विशिष्टियां	उद्‌गम देश/ प्रादेशिक क्षेत्र	निर्यात के देश/ क्षेत्र	उत्पादक	निर्यातक	शुल्का राशि का %
1	7219	स्टे नलैस स्टी ल के कोल्डक-रोल्डय फ्लैट 300 उत्पाकद*	नीचे की टिप्पकणी के अनुसार अपवाद को छोड़कर सभी ग्रेड, सभी श्रेणियां	चीन का जन गणराज्यज	कोई	कोई	कोई	57.39%
2	वही	वही	वही	संबंधित देशों को छोड़कर कोई अन्यो	चीन का जन गणराज्यज	कोई	कोई	57.39%
3	वही	वही	वही	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी	मैसर्स पोस्कोय कोरिया	हुण्डाई कारपोरेशन और देवू इन्टेरनेशनल	5.39%

क्र. सं.	टैरिफ शीर्ष	सामानों का विवरण	विशिष्टियां	उद्‌गम देश/ प्रादेशिक क्षेत्र	निर्यात के देश/ क्षेत्र	उत्पाादक	निर्यातक	शुल्का राशि का %
4	वही	वही	वही	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी	उपर्युक्त संयोजनों को छोड़कर कोई अन्यक		13.44%
5	वही	वही	वही	कोरिया आरपी	कोई	कोई	कोई	13.44%
6	वही	वही	वही	संबंधित देशों को छोड़कर कोई अन्यो	कोरिया आरपी	कोई	कोई	13.44%
7	वही	वही	वही	चीनी ताईपेई	कोई	कोई	कोई	15.93%
8	वही	वही	वही	संबंधित देशों को छोड़कर कोई अन्यो	चीनी ताईपेई	कोई	कोई	15.93%
9	वही	वही	वही	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	कोलम्बास स्टे्नलैस	कोलम्बास स्टे्नलैस	12.34%
10	वही	वही	वही	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	उपर्युक्तईसंयोजनों को छोड़कर कोई अन्यल		36.91%
11	वही	वही	वही	दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	कोई	36.91%
12	वही	वही	वही	संबंधित देशों को छोड़कर कोई अन्यो	दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	36.91%
13	वही	वही	वही	थाइलैंड	थाइलैंड	पोस्को थाईनॉक्सस	1. पोस्को् थाईनॉक्स 2. हुण्डोई कारपोरेशन	4.58%
14	वही	वही	वही	थाइलैंड	थाइलैंड	उपर्युक्त संयोजनों को छोड़कर कोई अन्य्		5.39%
15	वही	वही	वही	थाइलैंड	कोई	कोई	कोई	5.39%
16	वही	वही	वही	संबंधित देशों को छोड़कर कोई अन्यो	थाइलैंड	कोई	कोई	5.39%
17	वही	वही	वही	यूएसए	कोई	कोई	कोई	9.47%
18	वही	वही	वही	संबंधित देशों को छोड़कर	यूएसए	कोई	कोई	9.47%

क्र. सं.	टैरिफ शीर्ष	सामानों का विवरण	विशिष्टियां	उद्गम देश/ प्रादेशिक क्षेत्र	निर्यात के देश/ क्षेत्र	उत्पादक	निर्यातक	शुल्का राशि का %
				कोई अन्य				
19	वही	वही	वही	यूरोपियन यूनियन	यूरोपियन यूनियन	एस्रीनॉक्सक यूरोप एसएयू, स्पेन	एस्रीनॉक्सक यूरोप एसएयू, स्पेन	29.41%
20	वही	वही	वही	यूरोपियन यूनियन	यूरोपियन यूनियन	उपर्युक्तस्संयोजनों को छोड़कर कोई अन्य		52.56%
21	वही	वही	वही	यूरोपियन यूनियन	कोई	कोई	कोई	52.56%
22	वही	वही	वही	संबंधित देशों को छोड़कर कोई अन्यो	यूरोपियन यूनियन	कोई	कोई	52.56%

फुट नोट:-

* निम्नईलिखित को छोड़कर सभी सीरीज के 600 एमएम से 1250 एमएम चौड़ाई तक के कोल्डि रोल्डख फ्लैट उत्पावदों ने 4 एमएम (मिल ऐज के लिए +30 एमएम और ट्रिम्म5ड ऐज के लिए 4 एमएम की चौडाई टोलरेंस) की मोटाई वाले कोल्डं रोल्डं (कोल्ड रिडयूज्ड) की अपेक्षाकृत आगे कार्य नहीं किया है:-

(i) 1250 एमएम (प्लडस टोलरेंस) से अधिक चौड़ाई वालीविषयगत वस्तुएं

(ii) ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन , 443 , 441 , ईएन 1.4835 , 1.4547 , 1.4539 , 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509

(iii) कम निक्कईल वाले सामानों के संबंध में भारतीय पेटेटं सं. 223848 के तहत आपूर्ति किये गये उत्पा4द्र जिसमें क्रोमियम-निक्केल मैगनीज- कापर आस्टे1नाईटिक स्टैतनलेस स्टीअल और प्रतिनिधि ग्रेड वाई यू 1 और वाई यू 4, जो कि मै. यीह यूनाईटेड स्टील कॉर्प (यूस्को) चीनी तेइपई (ताइवान) द्वारा उत्पा4दित और आपूर्ति किये गये हैं।

विचाराधीन उत्पाद कस्टऔम्सत टैरिफ ,एक्1975 के अध्या य 72 में ''बेस मेटल एण्डी आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल्सी'' श्रेणी तथा इसके अतिरिक्तए कस्टिम्स1 वर्गीकरण के अनुसार7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35, और 7219.90 के अतंर्गत वर्गीकृ त है। यहॉ इंगित कस्ट7म्स. वर्गीकरण केवल सकेतांत्म2क है और यदि उत्पाेद कस्ट5म्स के अन्य किसी शीर्ष के तहत आयातित है, तो यह शुल्क् लगाने के क्षेत्र पर कतई बाध्यकारी नहीं है।

स्रोत: राजस्वक विभाग/वाणिज्यप मंत्रालय

(राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 61/2015-सीमा शुल्कन (एडीडी)

***